रजिस्ट्री सं० डी/डी—73 Regd. No. D(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1976/माघ 4, 1897
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1976/MAGHA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 30th November, 1975:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1	2	3	4
304.	सा०का०नि० 551 (अ) दिनांक 1 नवम्बर, 1975	वित्त मंत्रालय	चीनी का प्रशुल्क मूल्य नियत करना।
304.	G.S.R. 551 (E) dated, 1 Nov, 1975.	Ministry of Finance	Fixation of tariff value of Sugar.
305.	सा० का० नि० 552 (अ) दिनांक 7 नवम्बर, 1975	गृह मंत्रालय	भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में आगे और संशोधन।
305.	G.S.R. 552 (E) dated 7th Nov. 1975.	Ministry of Home Affairs	Further amendment of Defence and Internal Security of India Rules, 1971.
306.	सा० का० नि० 553 (अ) दिनांक 10 नवम्बर, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	विनिर्माता और अन्य कम्पनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 1975 का लागू होना।
306.	G.S.R. 553 (E) dated 10th Nov. 1975.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	Application of Manufacturing and other Companies (Auditor's Report) Order, 1975 to certain classes of Companies.
307.	सा० का० नि० 554 (अ) दिनांक 10 नवम्बर, 1975	रेल मंत्रालय	भारतीय रेल (अधिसूचित रेल स्टेशनों से न हटाए गए माल का व्ययन) नियम, 1975।
307.	G.S.R. 554 (E) dated 10th Nov. 1975.	Ministry of Railways	The Indian Railways (Disposed of goods not removed from notified Railway Stations) Rules, 1975.
308.	सा० का० नि० 555 (अ) दिनांक 12 नवम्बर, 1975	ऊर्जा मंत्रालय	कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के अध्यक्ष को अधिकार देना।
308.	G.S.R. 555 (E) dated 12th Nov. 1975.	Ministry of Energy	Powers vested on Chairman, Coal India Limited, Calcutta.

131GI/75—1

1	2	3	4	5	6	7
4. Signal Khalasi	Four	General Central Services Class IV (Non Gazetted)	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	25 years.	Should have passed the VIII Standard. Should possess good Knowledge of English that is to read and write. Preference will be given to candidates knowing alphabetical and numerical flags of International Code.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	6 months	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

[F. No. PEL-121/74]

MRS. B. NIRMAL, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली 31 दिसम्बर, 1975

सा०का०नि० 118.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा दण्डकारण्य परियोजना, श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों पर भर्ती के नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना, श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों पर भर्ती के (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. दण्डकारण्य परियोजना, श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों पर भर्ती के नियम, 1973 की अनुसूची में कार्यकारी इंजीनियर/निर्माण/सिंचाई/कार्य निरीक्षक के पद के सामने—

(क) कालम 10 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर—

(i) "50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) "50 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ख) कालम 11 में दी गई प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले "ग्रेड में सेवा" शब्दों के स्थान पर "ग्रेड में नियुक्ति हो जाने के पश्चात् नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या 1(104)/67-दण्डक)]

बी० एम० घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 31st December, 1975

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Dandakaranya Project, Class I and II Posts Recruitment Rules, 1973, namely:—

1. (1) These rules may be called the Dandakaranya Project, Class I and Class II Posts Recruitment (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Dandakaranya Project, Class I and Class II Posts Recruitment Rules, 1973, against the post "Executive Engineer (Construction)/(Irrigation)/Surveyor of Works—

(a) in the entry in column 10—

(i) for the figures and words "50 per cent by promotion", the figures and words "75 per cent by promotion" shall be substituted;

(ii) for the figures and words "50 per cent by transfer", the figures and words "25 per cent by transfer" shall be substituted;

(b) in the entry in column 11, for the words "service in the grade", the words "service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis" shall be substituted.

[No. 1(104)/67-DNK]

B. M. GHOSH, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1976

शुद्धि पत्र

सा०का०नि० 119.—आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन नियमावली, 1974 से संबंधित अधिसूचना जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संख्या 4/49/72-एस०-4 दिनांक 15 जून, 1974 के द्वारा जारी हुई थी और भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड 3(i) में सा०का०नि० संख्या 931 दिनांक 31 अगस्त, 1974 के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी, एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या 4/49/72-एस०-4]

र० द० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 2nd January, 1976

CORRIGENDUM

G.S.R. 119.—The notification relating to the All India Radio (Class III Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1974 issued vide the Ministry of Information and Broadcasting No. 4/49/72-SIV, dated 15th June, 1974 and published in Part II, Section 3(i) of the Gazette of India vide GSR No. 931, dated 31st August, 1974 is hereby cancelled.

[No. 4/49/72-SIV]

R. D. JOSHI, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1976

सा०का०नि० 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय (अन्वेषक श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम श्रम मंत्रालय (अन्वेषक श्रेणी 2) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. श्रम मंत्रालय (अन्वेषक श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में—

(i) स्तम्भ 10 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"1/3 सीधी भर्ती द्वारा ;

1/3 श्रम मंत्रालय में कार्य करने वाले संगणकों की प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर श्रम ब्यूरो में कार्य करने वाले संगणकों की प्रोन्नति द्वारा ; और

1/3—श्रम मंत्रालय और उससे सम्बद्ध कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक या निम्न श्रेणी लिपिक या आशु लिपिक, श्रेणी 3 की प्रतिनियुक्तियों/स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा तीन उच्च श्रेणी लिपिकों या निम्न श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति के पश्चात्, एक आशुलिपिक श्रेणी 3 के नाम पर नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा । किन्तु, निम्न श्रेणी लिपिकों के नामों पर केवल तभी विचार किया जायेगा जब उच्च श्रेणी लिपिकों के नामों पर, जो विचारार्थ अपने नामों की प्रस्थापना करते हैं, आरक्षित कोटा के लिये अन्वेषक श्रेणी 2 के पद पर नियुक्ति के लिये विचार कर लिया गया हो ;"

(ii) स्तम्भ 11 में, "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण—

ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक या आशुलिपिक श्रेणी 3, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो । ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की हो ।"

[सं० ए०-12018/5/1/71-एल०डब्ल्यू०आई०II/एल०बी०]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th January, 1976

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Labour (Investigator Grade II) Recruitment Rules, 1963, namely—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Labour (Investigator Grade II) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Labour (Investigator Grade II) Recruitment Rules, 1963—

(i) in column 10, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

"1/3 by direct recruitment";

1/3 by promotion of Computors working in the Ministry of Labour, failing which by promotion of Computors working in the Labour Bureau ; and

1/3 by deputation or transfer of Upper Division Clerks or Lower Division Clerks or Stenographers Grade III belonging to the Central Secretariate Clerical Service/Central Secretariate Stenographer Service in the Ministry of Labour and its Attached Offices, failing which by direct recruitment (One stenographer Grade III will be considered for appointment after 3 Upper Division Clerks or Lower Division Clerks have been appointed. The Lower Division Clerks will, however, be considered only after Upper Division Clerks who may offer themselves for consideration, have been so considered for appointment to the post of Investigator Grade II against the reserved quota;"

(ii) in column 11, for the heading "Deputation", and the entry under it, the following heading and entry shall be substituted, namely :—

"Deputation or Transfer.—Upper Division Clerks or Stenographers Grade III with 3 years service in the grade. Lower Division Clerks with 8 years' service in the grade."

[F. No. A-12018/5/I/71-LWI. II/LB]

सा० का० नि० 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम ब्यूरो, शिमला अन्वेषक श्रेणी 2 भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम श्रम ब्यूरो, शिमला (अन्वेषक श्रेणी-2) भर्ती संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. श्रम ब्यूरो, शिमला (अन्वेषक श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में—

(i) स्तंभ 10 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1/3 सीधी भर्ती द्वारा ;